एडीजी ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा, दिए निर्देश

अधिकारियों दिए जरूरी निर्देश.

bareilly@inext.co.in

BAREILLY (8 April): पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारी लगातार समीक्षा कर रहे हैं. ऐसे में थर्सडे को एडीजी अविनाश चंद्र ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए आईजी बरेली रमित शर्मा, डीआईजी मुरादाबाद और सभी जिलों के चुनाव नोडल अधिकारी समेत जोन के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की. इसके साथ ही लगातार बढ़ कोरोना संक्रमण के चलते पुलिसकर्मियों को एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए.

यह दिए निर्देश

- फोर्स के डिप्लॉयमेंट चार्ट तैयार कर फोर्स की आवश्यकता, उपलब्धता और मूवमेंट की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ली जाए
- चुनाव के लिए गाड़ियों की व्यवस्था व अनुमति के संबंध में समीक्षा
- सीपीएमएफ बल के मानक व कोविड 19 को देखते हुए ड्यूटी स्थल के अनुसार फोर्स के रुकने, मैस, शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था
- कोविड 19 के तहत फोर्स की ब्रीफिंग की व्यवस्था
- बढ़ते संक्रमण के चलते फोर्स के दिए जाने वाले सैनेटाइजर, मास्क, विटामिन सी टेबलेट, साबुन, ड्राई राशन, आदि की व्यवस्था
- कोरोना रिसर्व के रूप में पुलिस बल की व्यवस्था करना
- मतपेटिका सुरक्षा व मतगणना ड्यूटी की समीक्षा करने के लिए भी सख्त दिशा निर्देश दिए

पांच स्थानों पर एक करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क

संवाद सूत्र, हरेवली : थाना शेरकोट में हरेवली क्षेत्र के गांव खिजरपुर में पुलिस-प्रशासन ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी एक करोड़ 11 लाख 46 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अभियुक्त पिछले छह माह से जेल में बंद है। इसके अलावा नांगल, हीमपुर दीपा, किरतपुर और अफजलगढ़ में कुल पांच जगहों पर एक करोड़ 20 लाख 19 हजार 600 रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। एसडीएम, एएसपी व सीओ की मौजूदगी में कार्रवाई की।

कार्रवाई

- डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
- शेरकोट, नांगल, हीमपुर दीपा किरतपुर में गिरी गाज

गुरुवार को थाना शेरकोट क्षेत्र के हरेवली के गांव खिजरपुर निवासी सुखलाल पुत्र मौखी सिंह के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी 50 बीघा अचल संपत्ति (कृषि भूमि) को कुर्क कर दिया है। मौके पर पहुंचे एएसपी पूर्वी अनित कुमार, एसडीएम धीरेंद्र सिंह, सीओ सुनीता दहिया और अन्य की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। संपत्ति पर बोर्ड लगा दिए गए हैं। एसडीएम धीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है, संपत्ति कुर्क करके तहसीलदार धामपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। बताया गया है कि आरोपित सुखलाल, उसकी पत्नी सुरेखा देवी व उनका पुत्र धीरेंद्र एक युवती की हत्या के मामले में छह माह से जेल में बंद हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा थाना हीमपुर दीपा के अंतर्गत अभियुक्त रईस पुत्र बंदू निवासी गांव नसीरपुर शेख की सात लाख रुपये की कृषि भूमि कुर्क की गई है। आरोपित पर गौवध अधिनियम के तहत चांदपुर में मुकदमा दर्ज है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। थाना किरतपुर के गांव भनेड़ा निवासी रियाज पुत्र बाबू की 70 हजार की एक मोटर साइकिल कुर्क की गई है। थाना नांगल क्षेत्र में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जिसमें मंडावली के गांव साहनपुर नानु उर्फ गुलालबाड़ी निवासी मुखत्यार सिंह पुत्र मिल्खा सिंह 53 हजार की एक मोटर साइकिल को कुर्क किया है। वहीं थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में अज्जू उर्फ अजीमुद्दीन पुत्र मोहम्मद अली निवासी मीरापुर मोदीवाला की भी 50 हजार रुपये की बाइक को कुर्क की।

हरेवली के ग्राम खिजरपुर में मौके पर वार्ता करते अधिकारी • जागरण